"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

भाग 2

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक/336/उपंरा/परि./2010/.—वस्तुत: जय बूढ़ादेव आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सीतागोटा पं. क्र. 357 विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/288/उपंरा/परि./2010, राजनांदगांव दिनांक 17-6-2010 जारी किया गया है कि वास्तव में, आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के अनुसार "डी." वर्ग में है तथा समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं कराने/संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को संस्था से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार हैं अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए जय बूढ़ादेव आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सीतागोटा पं. क्र. 357 विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत श्री डी. बी. ढारगवे सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 22-7-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक/337/उपंरा/परि./2010/.—वस्तुत: विश्वकर्मा बढ़ई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, छुईखदान पं. क्र. 88 विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/275/उपंरा/परि./2010, राजनांदगांव दिनांक 17-6-2010 जारी किया गया है कि वास्तव में, आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के अनुसार "डी." वर्ग में है तथा समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं कराने/संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को संस्था से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार हैं अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वकर्मा बढ़ई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, छुईखदान पं. क्र. 88 विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत श्री एम. एल. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 22-7-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक/338/उपंरा/परि/2010/.—वस्तुत: छुईखदान मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, छुईखदान पं. क्र. 362 विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/596/उपंरा/परि./2010, राजनांदगांव दिनांक 28-10-09/16, 17-6-2010 जारी किया गया है कि वास्तव में, आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के अनुसार "डी." वर्ग में है तथा समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं कराने/संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को संस्था से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती हैं कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार हैं अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छुईखदान मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, छुईखदान पं. क्र. 362 विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत श्री एम. एल. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 22-7-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.